

उत्तर प्रदेश सरकार  
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड  
19 सी, तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स, विधानसभा मार्ग,  
लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001  
सूचना/विज्ञप्ति

उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में कर्मशाला कर्मचारी के पदों पर सीधी भर्ती-2022  
अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा (डीवी/पीएसटी) की प्रक्रिया  
एवं  
डीवी/पीएसटी के प्रवेश पत्र डाउनलोड किये जाने हेतु महत्वपूर्ण सूचना का प्रकाशन

संख्या-पीआरपीबी-एक-3(39)/2023 पार्ट-4(2) (विज्ञप्ति)

दिनांक-फरवरी 01, 2025

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ द्वारा उ0प्र0 पुलिस रेडियो संवर्ग में कर्मशाला कर्मचारी के पदों पर सीधी भर्ती-2022 के अन्तर्गत अर्ह अभ्यर्थियों की अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण-(डीवी/पीएसटी) की कार्यवाही प्रदेश के 08 जनपदों-आगरा, मेरठ, बरेली, कानपुर नगर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी एवं गोरखपुर में दिनांक 08.02.2025 से प्रारम्भ की जा रही है।

2- उपरोक्त सम्बन्ध में अभ्यर्थियों के अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण का प्रवेश पत्र का लिंक बोर्ड की वेबसाइट <https://uppbpb.gov.in> पर दिनांक 01.02.2025 को अपलोड किया जायेगा, जिससे अभ्यर्थी डाउनलोड करके प्रवेश पत्र में अंकित परीक्षा केन्द्र पर निर्धारित तिथि व समय पर प्रवेश पत्र में उल्लिखित सम्बन्धित मूल अभिलेखों तथा मूल अभिलेखों की एक स्वः प्रमाणित प्रति के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।

3- यदि किसी अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में कठिनाई होती है, तो वह हेल्पलाइन नम्बर-044-47749013 पर सम्पर्क कर सकता है।

4- उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में कर्मशाला कर्मचारी के पदों पर सीधी भर्ती-2022 की विज्ञप्ति दिनांकित 06.01.2022 एवं संगत सेवा नियमावली में उल्लिखित प्रावधानों के अनुक्रम में अभ्यर्थियों की अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण हेतु निम्नवत् प्रक्रिया निर्धारित की जाती है:-

### 1. अभिलेखों की संवीक्षा

1. अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता, शिथिलता, अधिमानी अर्हता आदि के सम्बन्ध में सुसंगत दस्तावेजों के साथ बोर्ड द्वारा गठित समिति के समक्ष उनके अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण के लिये बुलाया जायेगा। यह परीक्षण एक समिति द्वारा सम्पन्न कराया जायेगा। इस समिति का स्वरूप निम्नवत् है:-

- (क) जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित निर्दिष्ट डिप्टी कलेक्टर-अध्यक्ष
- (ख) जनपद/कमिश्नरेट के पुलिस आयुक्त, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित कोई पुलिस उपाधीक्षक -सदस्य
- (ग) जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक या बेसिक शिक्षा अधिकारी अथवा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित शिक्षा विभाग का कोई अन्य राजपत्रित अधिकारी -सदस्य
- (घ) जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी अथवा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट एक चिकित्साधिकारी-सदस्य

जहाँ विद्यमान शासनादेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक व अन्य किसी श्रेणी जिसका प्रतिनिधित्व उपरोक्त दल में आवश्यक हो, वहाँ उनके प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने हेतु बोर्ड द्वारा सम्बन्धित जिले के पुलिस आयुक्त, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम-निर्दिष्ट अतिरिक्त अधिकारियों को सदस्य के रूप में रखा जायेगा। नामित किये जाने वाले ऐसे अधिकारी पुलिस विभाग में निरीक्षक स्तर से निम्न नहीं होंगे।

- 2- मूल अभिलेखों का मिलान आवेदन पत्र में उपलब्ध करायी गयी सूचना से किया जायेगा।
- 3- अभिलेखों के मिलान के दौरान बोर्ड, किसी प्रकरण को किसी दल द्वारा कोई संशय होने के कारण संदर्भित किये जाने पर अथवा सीधे उनके संज्ञान में लाये जाने पर अपने स्तर से निर्णय लेकर निर्देश जारी कर सकता है। इस प्रकार बोर्ड द्वारा जारी किये गये निर्देश अंतिम माने जायेंगे।
- 4- अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान या संवीक्षा के पश्चात चयन होने पर किसी भी समय किसी भी अभिलेख को छलसाधित, गलत या कूटरचित पाये जाने की दशा में, आवेदक का अभ्यर्थन, यथास्थिति, बोर्ड अथवा नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक के अनुसार निरस्त कर दिया जायेगा तथा यथास्थिति आपराधिक मामला संस्थित करके यथाविधि कार्यवाही की जायेगी।

## 2. शारीरिक मानक परीक्षण:-

1. उक्त समिति द्वारा ही अभ्यर्थियों के शारीरिक मानक परीक्षण तत्समय सम्पादित की जायेगी। अभिलेखों की संवीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को ही शारीरिक मानक परीक्षण में सम्मिलित किया जायेगा।

### 2. पुरुष अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत् है:-

#### (क) ऊँचाई:-

(एक) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 168 से०मी० है।

(दो) अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम ऊँचाई 160 से०मी० है।

#### (ख) सीना:-

सामान्य/अन्य पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप 79 से०मी० बिना फुलाने पर और कम से कम 84 से०मी० फुलाने पर और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 77 से०मी० बिना फुलाने पर और फुलाने पर 82 से०मी० से कम नहीं होगा।

टिप्पणी:- न्यूनतम 05 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है।

### (3) महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत् है:-

#### (क) ऊँचाई:-

(एक) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 152 से०मी० है।

(दो) अनुसूचित जनजाति के महिला अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम ऊँचाई 147 से०मी० है।

#### (ख) वजन:-

महिला अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम वजन 40 कि०ग्रा०।

4- यदि कोई अभ्यर्थी जो अपनी शारीरिक मानक परीक्षण से सन्तुष्ट न हो, ठीक परीक्षण के उपरान्त उसी दिन अपील/आपत्ति दाखिल कर सकता/सकती है। ऐसी समस्त अपील/आपत्तियों के समाशोधन के लिए बोर्ड द्वारा प्रत्येक स्थान पर एक अपर पुलिस अधीक्षक को नामनिर्दिष्ट किया जायेगा एवं ऐसे सभी अभ्यर्थियों का शारीरिक मानक परीक्षण, समिति द्वारा नाम निर्दिष्ट अपर पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में पुनः कराया जायेगा। ऐसे समस्त अभ्यर्थी जो पुनः कराये गये शारीरिक मानक परीक्षण में असफल पाये जाते हैं, को भर्ती हेतु अनुपयुक्त घोषित किया जायेगा और इस सम्बन्ध में अग्रेतर कोई अपील स्वीकार नहीं की जायेगी।

### 3. सामान्य अनुदेश:-

1. अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जायेगी कि वे दिये गये दिनांक, समय और स्थान पर अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण हेतु उपस्थित हों। ऐसे कारणों से जो नियंत्रण के परे हों और जो लिखित रूप से अभिलिखित किये जायें, किसी विशिष्ट समय पर परीक्षण किये जाने वाले अभ्यर्थियों के समूह हेतु दिनांक एवं समय में बोर्ड द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है।
2. यदि कोई अभ्यर्थी नियत दिनांक, समय और स्थान पर परीक्षण में सम्मिलित होने में असफल रहता है तो वह परीक्षण हेतु सम्बन्धित जनपद में नोडल अधिकारी को परीक्षण में सम्मिलित न होने के विस्तृत कारणों का उल्लेख करते हुये किसी अन्य तिथि को परीक्षण में सम्मिलित होने के लिये प्रत्यावेदन दे सकता है। नोडल अधिकारी द्वारा उसके प्रत्यावेदन पर विचार कर उसे अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण हेतु निर्धारित की गयी दिनांकों में से किसी अन्य दिनांक पर परीक्षण में सम्मिलित होने हेतु निर्णय लिया जा सकता है। अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण हेतु निर्धारित अन्तिम दिनांक के पश्चात की कोई तिथि किसी भी दशा में पुनर्निर्धारित नहीं की जायेगी। अगर अभ्यर्थी पुनर्निर्धारित दिनांक एवं समय पर परीक्षण में सम्मिलित होने में विफल रहता है तो उसे उसे परीक्षण में असफल माना जायेगा और स्वास्थ्य के कारण या किसी अन्य आधार चाहें जो भी हों, पुनः परीक्षण के लिये अभ्यर्थी को अन्य कोई अवसर नहीं दिया जायेगा। अभ्यर्थियों को यह प्रत्यावेदन, बोर्ड द्वारा इस परीक्षण हेतु पूर्व से निर्धारित की गयी अन्तिम तिथि से पूर्व देना होगा। उपरोक्त ऐसे सभी प्रकरणों को जिसमें नोडल अधिकारी द्वारा परीक्षण का दिनांक एवं समय पुनर्निर्धारित किया जायेगा, उसके सम्बन्ध में बोर्ड को सूचित किया जायेगा।
3. परीक्षण में विहित मानक प्राप्त न कर सकने के कारण अन्तिम रूप से असफल घोषित किये गये अभ्यर्थी को, किसी भी आधार पर, कोई अन्य अवसर नहीं दिया जायेगा एवं इस सम्बन्ध में अभ्यर्थी द्वारा पुनः परीक्षण के लिये कोई अपील नहीं की जा सकेगी।
4. अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण का परिणाम उसी दिन अभ्यर्थियों को अवगत कराया जायेगा।

### 4 अन्य सूचना:-

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ द्वारा उ0प्र0 पुलिस रेडियो संवर्ग में कर्मशाला कर्मचारी के पदों पर सीधी भर्ती-2022 की ऑनलाइन लिखित परीक्षा दिनांक 29.01.2024 से 30.01.2024 तक (कुल 03 पालियों में) आयोजित की गयी थी, जिसका परिणाम दिनांक 07.08.2024 को घोषित किया गया था। उपरोक्त परीक्षा के सम्बन्ध में बोर्ड को प्राप्त विभिन्न सूचनाओं के आधार पर परिणाम का परीक्षण भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई0आई0टी) कानपुर से कराया गया है। आई0आई0टी0 कानपुर से बोर्ड को विस्तृत आख्या प्राप्त हुयी है जिसका परीक्षण कर संदिग्ध आचरण के अभ्यर्थियों के विरुद्ध अलग से बोर्ड द्वारा उचित कार्यवाही की जा रही है।

अपर सचिव भर्ती,  
उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,  
लखनऊ